A-4/1

न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः– लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

अपील संख्या 63/2021

सुभाषचन्द्र पुत्र श्री हरदेवाराम जाति चमार (हरिजन) निवासी बीबासर तहसील व जिला झुंझुनूं।

–– अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमती सुनीता धर्मपत्नी स्व0 दलीप, जाति जाट, निवासी बीबासर, तहसील व जिला झुंझुनूं।
2. दीपक पुत्र स्व0 दलीप, जाति जाट, निवासी बीबासर, तहसील व जिला झुंझुनूं।
3. प्रतीक पुत्र स्व0 दलीप, जाति जाट, निवासी बीबासर, तहसील व जिला झुंझुनूं।
4. निशा पुत्री स्व0 दलीप, जाति जाट, निवासी बीबासर, तहसील व जिला झुंझुनूं।
5. संतोष पुत्री स्व0 भगवानाराम पत्नी श्रीराम, जाति जाट, निसासी कैरू, तहसील नवलगढ, जिला झुंझुनूं।

–– रेस्पोडेन्ट्

––

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 08.02.2017 न्यायालय तहसीलदार झुंझुनूं मु0नं0 01/2006 उनवानी हरदेवाराम बनाम भगवानाराम अ0 धारा 183 बी राज0 टेनेन्सी एक्ट।

––

उपस्थितः–

1. श्री विनोद कुमार गिल, एडवोकेट– अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री रणजीत सिंह, एडवोकेट– रेस्पोडेन्ट सं0 2 की ओर से।
3. रेस्पोडेन्ट सं0 1 व 3 लगायत 5 बावजूद नोटिस तामिल अनुपस्थित।

आदेश

दिनांक 28.09.2022

पत्रावली पेश हुई। उक्त विषयक अपील तहसीलदार झुंझुनूं के निर्णय दिनांक 08.02.2017 के विरूद्ध मय प्रार्थना पत्र दफा 5 मि0अ0 के प्रस्तुत की गई है। प्रार्थना पत्र दफा 5 मि0अ0 पर बहस सुनी गई। अपील का निर्णय गुणावगुण के आधार पर करने की दृष्टि से प्रा0प0 दफा 5 मि0अ0 स्वीकार किया जाता है। अपीलार्थी की तरफ से यह अपील निम्न आधारों पर पेश है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 08.02.2017 प्रथम दृष्टया त्रुटिपूर्ण प्रतीत होता है। उक्त आक्षेपित निर्णय विरूद्ध कानून एवं पत्रावली है। माननीय अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य में बूंटीराम के प्रस्तुत शपथ पत्र पर गौर नही फरमाया ना ही निर्णय में शपथ पत्र के साक्ष्य का विवेचन किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में विवादास्पद भूमि को सन् 1987 से विवादास्पद मानने में भारी भूल की है। दिनांक 28.12.1987 को प्रार्थी के पिता डालूराम पुत्र लादूराम के द्वारा पुलिस थाना में प्रकरण में शपथ पत्र पेश कर विवादास्पद भूमि अप्रार्थी की लिखना बताकर शपथ पत्र में [illegible] गलत ढंग से सन् 1987 से विवादास्पद भूमि को विवादग्रस्त मानने में भारी भूल की है [illegible] शपथ पत्र फर्जी व गलत था और उस आधार पर भूमि सन 1987 से विवादास्पद नही मानी जा सकती। इसके अलावा अधीनस्थ न्यायालय का यह निष्कर्ष भी पूर्णतया गलत व त्रुटिपूर्ण है कि [illegible] 2009 से चला आ रहा है। यदि संवत 2009 की खसरा गिरदावरी में गलत ढंग से गजाधर का [illegible] हुआ भी था तथा संवत 2009 से 2012 गजाधर उपकृषक दर्ज भी था तो इससे विवादास्पद भूमि गजाधर या उसके विधिक वारिसान की नही मानी जा सकती। अधीनस्थ न्यायालय ने संवत 2012 के पश्चात के रेवन्यू रेकार्ड पर बिलकुल भी ध्यान

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.11.21 12:30:11 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

A 4/2

ही दिया। अनुसुचित जाति के डालुराम तत्पश्चात हरदेवाराम और उसके बाद प्रार्थीगण को उक्त खसरा नम्बर 168 रकबा 1.35 हैक्टर गत खसरा नम्बर 90/2 रकबा 6 बीघा के बाबत प्राप्त खातेदारी हक अधिकारों पर बिलकुल भी गौर नही फरमाया। माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी के पिता हरदेवाराम की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अ0 धारा 183 बी राज0 काश्तकारी अधिनियम को 12 वर्ष से अधिक समय व्यतित होना व मियाद बाहर होना मानने में भारी भूल की है। कानून राज0 काश्तकारी अधिनियम की तृतीय अनुसूची में दर्ज अनुसार 183 बी के लिए आवेदन पत्र के लिए विहित अवधि वादहेतुक उत्पन्न होने के रोज से मानी गई है। इसलिए जब अपीलार्थी के पिता हरदेवाराम ने उक्त प्रार्थना पत्र में दर्ज प्रार्थी के बताये अनुसार तथ्यों से उत्पन्न होने के रोज से माना जा सकता है। हरदेवाराम ने अपने शपथ पत्र में दिनांक 02.10.2005 को खेत ख0न0 168 की भूमि पर अतिक्रमण कर फसल गेहूं जौ की काश्त करने की बात दर्ज की है इससे स्पष्ट है कि वादहेतुक दिनांक 2.10.2005 को उत्पन्न हुआ जो प्रार्थना पत्र कानूनन अन्दर मियाद था इस तथ्य पर भी अधीनस्थ न्यायालय ने ध्यान नही दिया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में दर्ज किया है कि प्रार्थी हरदेवाराम के पिता डालूराम के द्वारा सन् 1987 में पुलिस में प्रकरण दर्ज करवाया उसी वक्त 183 बी R.T.A. के तहत कोई राहत नही चाही। यहां गौर तलब है कि हरदेवाराम के पिता डालुराम ने सन् 1987 मे कोई रिपोर्ट विवादस्पद भूमि के सम्बन्ध में दर्ज भी करवाई थी तो उससे प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत उक्त आवेदन पत्र 183 बी R.T.A. की वादहेतुक उत्पन्न होना मानकर उक्त आवेदन पत्र की मियाद 12 वर्ष व्यतित होना नहीं माना जाना चाहिए था क्योकि पुलिस में प्रकरण प्रार्थी ने दर्ज नही करवाया और ना ही उसे कोई जानकारी प्रकरण दर्ज होने तथा उसमें शपथ पत्र पेश होने की थी ऐसा शपथ पत्र फर्जी व गलत है। वादहेतुक सन् 1987 में उत्पन्न हुआ यह निष्कर्ष सरासर पूर्णतया त्रुटिपूर्ण है। अधीनस्थ न्यायालय ने अप्रार्थीगण का अनाधिकृत कब्जा होने की जानकारी को 12 वर्ष से अधिक समय व्यतित होने पर 183 बी R.T.A. की कार्यवाही अमल न लाने का निर्णय पूर्णतया त्रुटिपूर्ण है। यदि प्रार्थीगण के पिता डालूराम ने कोई प्रकरण पुलिस में दर्ज करवाई थी या उसकी कोई जानकारी प्रार्थीगण को नही थी तथा उससे प्रार्थीगण के कानूनी हक हकूकों पर कोई प्रभाव उत्पन्न नही होता है और ना ही इससे अप्रार्थी के अनाधिकृत कब्जे की जानकारी प्रार्थीगण को 12 वर्ष से पहले से होने का कोई निष्कर्ष निकलता है इसलिए भी अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारीज होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायायल ने जिला कलक्टर झुंझुनूं द्वारा श्रीमान तहसीलदार झुंझुनूं को प्रेषित प्रार्थना पत्र पर स्वयं तहसीलदार ने उक्त प्रकरण 183 बी R.T.A. दर्ज किया था इस तथ्य पर भी ध्यान नही दिया और ना ही पटवारी हल्का की रिपोर्ट ना ही वर्तमान लेटेस्ट रेकार्ड पर ध्यान दिया। संवत 2012 से चले आ रहे जमाबन्दी जिसमें अप्रार्थी का कोई नाम कभी बतौर खातेदार दर्ज नही था बल्कि प्रार्थी व उसके पूर्वजो का नाम दर्ज था इस तथ्य पर भी बिलकुल ध्यान नहीं दिया। अधीनस्थ न्यायालय ने अप्रार्थी अतिक्रमी के जवाब को सही मानकर उसका कब्जा 12 वर्ष से अधिक होना मानने में भारी भूल की है। प्रार्थी ने मौखिक साक्ष्य में हरदेवाराम पुत्र डालूराम, सुभाष चन्द्र पुत्र कुंदीराम पुत्र हनुमान सिंह इत्यादि के बयान कराये तथा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श–1 मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–2 जमाबन्दी वर्ष 2045, प्रदर्श–3 नक्शा इत्यादि पेश किये पर भी अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नही फरमाया और ना ही उपरोक्त गवाहों के मौखिक साक्ष्यो तथा दस्तावेजी साक्ष्यो का उल्लेख किया और ना ही ऐसे साक्ष्य पर विश्वास न करने का कोई कारण दर्ज किया। अप्रार्थी के ऐसी कोई खण्डनीय साक्ष्य पेश नही की है जिससे उसका कब्जा वादग्रस्त भूमि पर राज0 काश्तकारी अधिनियम लागू होने के समय से बदस्तुर रहा हो। ना ही कोई मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य इस बाबत पेश की है। अधीनस्थ न्यायालय में विचारण के दौरान अपीलाण्ट के पिता हरदेवाराम का देहान्त दिनांक 21.02.2007 को हो चुका था तथा अप्रार्थी भगवानाराम का देहान्त दिनांक 8.10.2007 को हो चुका था जिनके वारिसान को उक्त दावा में

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.11.21 12:30:11 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

A 4/3

रिकार्ड पर लिया जा चुका था इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपने उक्त निर्णय में दिनांक 8.2.2017 में मरे हुए व्यक्तियो को पक्षकार माना तथा उनके वारिसान को उक्त निर्णय में पक्षकार नही बनाया। अतः अपीलार्थी की और से यह अपील विरूद्ध निर्णय अ0 धारा 183 बी R.T.A. दिनांक 08.02.2017 मुकदमा नम्बर 1/2006 न्यायालय तहसीलदार झुंझुनूं पेश कर निवेदन है कि अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का उक्त निर्णय खारीज फरमाया जावे।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट् ने बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुए निवेदन किया कि माननीय अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य में बूंटीराम के प्रस्तुत शपथ पत्र पर गौर नही फरमाया ना ही निर्णय में शपथ पत्र के साक्ष्य का विवेचन किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में विवादास्पद भूमि को सन् 1987 से विवादास्पद मानने में भारी भूल की है। दिनांक 28.12.1987 को प्रार्थी के पिता डालूराम पुत्र लादूराम के द्वारा पुलिस थाना में प्रकरण में शपथ पत्र पेश कर विवादास्पद भूमि अप्रार्थी की लिखना बताकर शपथ पत्र में तथ्य सही प्रतीत होना दर्ज कर गलत ढंग से सन् 1987 से विवादास्पद भूमि को विवादग्रस्त मानने में भारी भूल की है जो शपथ पत्र फर्जी व गलत था और उस आधार पर भूमि सन 1987 से विवादास्पद नही मानी जा सकती। प्रार्थीगण का कब्जा संवत 2009 से चला आ रहा है। यदि संवत 2009 की खसरा गिरदावरी में गलत ढंग से गजाधर का अंकन हुआ भी था तथा संवत 2009 से 2012 गजाधर उपकृषक दर्ज भी था तो इससे विवादास्पद भूमि गजाधर या उसके विधिक वारिसान की नही मानी जा सकती। अनुसुचित जाति के डालूराम तत्पश्चात हरदेवाराम और उसके बाद प्रार्थीगण को उक्त खसरा नम्बर 168 रकबा 1.35 हैक्टर गत खसरा नम्बर 90/2 रकबा 6 बीघा के बाबत प्राप्त खातेदारी हक अधिकारों पर बिलकुल भी गौर नही फरमाया। माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी के पिता हरदेवाराम की और से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अ0 धारा 183 बी राज0 काश्तकारी अधिनियम को 12 वर्ष से अधिक समय व्यतित होना व मियाद बाहर होना मानने में भारी भूल की है। कानून राज0 काश्तकारी अधिनियम की तृतीय अनुसूची में दर्ज अनुसार 183 बी के लिए आवेदन पत्र के लिए विहित अवधि वादहेतुक उत्पन्न होने के रोज से मानी गई है। इसलिए जब अपीलार्थी के पिता हरदेवाराम ने उक्त प्रार्थना पत्र में दर्ज प्रार्थी के बताये अनुसार तथ्यों से उत्पन्न होने के रोज से माना जा सकता है। हरदेवाराम ने अपने शपथ पत्र में दिनांक 02.10.2005 को खेत ख0न0 168 की भूमि पर अतिक्रमण कर फसल गेहूं जौ की काश्त करने की बात दर्ज की है इससे स्पष्ट है कि वादहेतुक दिनांक 2.10.2005 को उत्पन्न हुआ जो प्रार्थना पत्र कानूनन अन्दर मियाद था। अधीनस्थ न्यायालय में विचारण के दौरान अपीलाण्ट के पिता हरदेवाराम का देहान्त दिनांक 21.02.2007 को हो चुका था तथा अप्रार्थी भगवानाराम का देहान्त दिनांक 8.10.2007 को हो चुका था जिनके वारिसान को उक्त दावा में रिकार्ड पर लिया जा चुका था इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपने उक्त निर्णय में दिनांक 8.2.2017 में मरे हुए व्यक्तियो को पक्षकार माना तथा उनके वारिसान को उक्त निर्णय में पक्षकार नही बनाया। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का [illegible] खारीज फरमाया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं0 2 ने वकील अपीलान्ट [illegible] का विरोध कर तर्क प्रस्तुत किया कि वकील अपीलान्ट के शपथ पत्र पर एतराज है। अदालत [illegible] ने अपीलान्ट के द्वारा थाने मे प्रस्तुत शपथ पत्र को सही माना है। विवादित भूमि [illegible] कब्जा है। धारा 183 बी की मियाद 12 साल है। अपीलान्ट का शपथ पत्र दिनांक 28.12.1987 का है जिसके आधार पर अपीलान्ट की अपील मियाद बाहर है। अतः अपीलान्ट्स की अपील खारिज फरमाई जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.11.21 12:30:11 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर झुन्झुनूं

A 4/4

पत्रावली का अवलोकन किया व बहस वकील पक्षकारान पर बगौर मनन किया। चूकि रेस्पोडेन्ट 0 2 ने वकील अपीलान्ट के शपथ पत्र पर ऐतराज किया है। अदालत मातहत ने अपीलान्ट के द्वारा थाने प्रस्तुत शपथ पत्र को सही माना है। विवादित भूमि के मौके पर रेस्पोडेन्ट कब्जा है। धारा 183 बी की मियाद 12 साल है। अपीलान्ट का शपथ पत्र दिनांक 28.12.1987 का है जिसके आधार पर अपीलान्ट की अपील मियाद बाहर है। दूसरी ओर वकील अपीलान्ट का कथन है कि हरदेवाराम ने अपने शपथ पत्र में दिनांक 02.10.2005 को खेत ख0न0 168 की भूमि पर अतिक्रमण कर फसल गेहूं जौ की काश्त करने की बात दर्ज की है जिसके कारण वादहेतुक दिनांक 2.10.2005 को उत्पन्न हुआ जिसके आधार पर अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र कानूनन अन्दर मियाद था। ऐसी स्थिति मे हम यह उचित समझते है कि प्रकरण मे रिकार्ड, मौके की स्थिति एवं मियाद के बिन्दू पर सुनवाई की जाकर अदालत मातहत प्रकरण मे निर्णय पारित करे। अतः अपीलान्ट्स की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अदालत मातहत को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि अदालत मातहत प्रकरण मे रिकार्ड, मौके की स्थिति एवं मियाद के बिन्दू पर पुनः सुनवाई कर युक्तियुक्त निर्णय पारित करे। रिकार्ड अदालत मातहत निर्णय की प्रति सहित वापिस लौटाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर पंजिका से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 28.09.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल0एस0कुडी)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.11.21 12:30:11 IST
Reason: SelfAttested